

भाग एक : खण्ड दस

1. वन (संरक्षण) नियम, 2014 (केन्द्रीय नियम)

अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) की धारा 4(1) के द्वारा दूदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वन (संरक्षण) नियम 2003 में और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'वन (संरक्षण) संशोधन नियम 2014' है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषा ढ इस नियम में जब तक संदर्भ में से अन्यथा अभिप्रेत न हो:
 - (1) 'अधिनियम' से तात्पर्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (ब. 69 वर्ष 80) से है।
 - (2) 'समित' से तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत गठित वन परामर्शदात्री समिति से है। (3) 'अध्यक्ष' से तात्पर्य समिति के अध्यक्ष से है।
 - (4) 'सदः' से तात्पर्य समिति के सदः से है।
 - (5) 'नोडल आफिसर' से तात्पर्य राज्य शासन द्वारा अधिकृत वह अधिकारी, जो वन संरक्षक की पेशी से कम न हो, और जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत वन संरक्षण के मामले निपटाने हेतु अधिकृत किया गया हो।
 - (6) 'क्षेत्रीय कार्यालय' (Regional Agency) से तात्पर्य केन्द्र शासन के पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा मंत्रालय के भाग के रूप में स्थापित कार्यालय से है जो इस अधिनियम के अन्तर्गत मामले निपटावेगा।
 - (7) 'धारा' से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है।
 - (8) 'उपयोगकर्ता एजेंसी' (User Agency) से तात्पर्य कोई व्यक्ति, संस्था, कम्पनी या केन्द्र या राज्य शासन के विभाग से है जो वन भूमि को गैर वाणिज्यिक प्रयोजन में उपयोग करने के लिए वन भूमि के रूप परिवर्तन (Diversion) या अनारक्षण (Denotification) के लिये इस अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्र शासन की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन देता है।

वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, - (1) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् ढ

"(खक) 'वन संरक्षक' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन सिकरल का भार धारण करने के लिए वन संरक्षक मुख्य वन पाल या प्रादेशिक मुख्य वनपाल के पदाभिधान या किसी ऐसे सट्टेय पदाभिधान के अधीन यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन द्वारा नियुक्त किया गया है;"। (11) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् ढ

"(गक) 'प्रभागीय वन अधिकारी' से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसे उस वन भूमि जिसके लिए इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है, पर अधिकारिता रखने वाले वन प्रभाव का भार धारण करने के लिए वन अधिकारी या उप वन संरक्षक के पदाभिधान या किसी ऐसे सट्टेय पदाभिधान के अधीन यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन द्वारा नियुक्त किया गया है;"।

3. (1) वन परामर्शदात्री समिति का गठन : वन परामर्शदात्री समिति में निम्नलिखित सदः य होंगे ढ (i) वन महा निदेशक

अध्यक्ष

वन तथा पर्यावरण मंत्रालय

- (ii) अपर वन महा निदेशक

सदः य

वन तथा पर्यावरण मंत्रालय

- (iii) अपर आयुक्त (भूमि संरक्षण) कृषि मंत्रालय

सदः य

वन खनन, सिविल इंजिनियरिंग और

- (iv) विकास के लिये खण्ड के आर्थिक विशेषज्ञ (अशासकीय)

सदः य (v) महा निरीक्षक वन (वन संरक्षण)

सदः य

सिचववन तथा पर्यावरण मंत्रालय

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा.का.नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के नियम 2 में जोड़ा गया।

(2) शिक्ता १०५ त क्षेत्रीय समित का गठन : त्थ एक क्षेत्रीय कार्यालय में शिक्ता १०५ त समित गठित की जावेगी जिसमें :-

(i) क्षेत्रीय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

अध्यक्ष

(ii) खनन, सिविल इंजिनियरिंग तथा विकास के
आथर्क विशेषज्ञ (अशासकीय)

सदः य

(iii) वन संरक्षक या क्षेत्रीय कार्यालय का उपवन संरक्षक

सदः य (सिचव) (4) अशासकीय सदः यों की नियुक्ति की निम्न शर्तें होंगी :

(i) अशासकीय सदः य का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

(ii) यदि अशासकीय सदः य, किसी मानिसक विकृति से मः त हो जावे, दिवालिया हो जावे या नैतिक अपराध में फौजदारी मुकदमें में न्यायालय ने दोष सिद्ध का निर्णय दिया हो, तो सदः यता समाप्त हो जावेगी।

(iii) यदि अशासकीय सदः य, बिना समुचित कारणों के, तीन बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे तो उसको सदः यता समाप्त की जा सकती है।

(iv) उपरोक्त (ii) या (iii) के कारण हुए रिक्त पर शासन 2 वर्ष से शेष रहे कार्यकाल हेतु नियुक्ति कर सकता है।

(v) अशासकीय सदः यों को केन्द्रीय शासन के 'A' श्रेणी के अधिकारी के उच्चतम दर से, जो केन्द्रीय शासन समय समय पर आदेशित करे, यासा तथा दैनिक भत्ता दिया जावेगा।

परन्तु लोक सभा के सदः य या राज्य विधान सभा के सदः यों को लोक सभा सदः य (वेतन, भत्ता तथा पेंशन) अधि. 1954 (30 वर्ष 1954) के अनुसार तथा विधान सभा के सदः य को उसके राज्य द्वारा बनाये अधिनियम के अनुसार यासा भत्ता, दैनिक भत्ता देय होगा।

(5) समित के कार्य का संचालन

(i) अध्यक्ष जब आवेक हो, बैठक आहूत करेगा लेकिन माह में एक बार से कम नहीं।

(ii) समित की बैठक नई देहली में होगी।

(iii) यदि अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो कि उस भूमि का, जिसको गैर वाणिज्यिकीय योजना हेतु उपयोग में लेना है : थल निरीक्षण आवेक है या : ताव जो नियम (6) के उपनियम (3) के अन्तर्गत प्राप्त

हुआ है के शीघ्र निराकरण में उपयोगी होगा तो वह बैठक नई देहली के बजाय उस : थान पर, जो : थल के निरीक्षण में सुविधा जनक हो, बैठक आहूत करेगा।

(iv) अध्यक्ष, हर बैठक, निम्नमें वह उपस्थित हो, अध्यक्षता करेगा।

(v) उस हर विषय पर, जिस पर समित को केन्द्रीय शासन को राय देना है उस पर समित की बैठक में विचार किया जावेगा परन्तु आवेक परिस्थित में, जब बैठक एक माह के अन्दर आहूत न की जा सके, अध्यक्ष यह आदेश दे सकेगा कि सम्बन्धित : थल सदः यों को भेजे जावे तथा उनकी राय निर्धारित दिनांक तक मांगी जावे।

(6) समित की बैठक का कोरम तीन सदः य का होगा।

16. अधिनियम की धारा 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन चाहने वाले : ताव का : तुति

(1) त्थ एक : थल ता अभिकरण जो गैर वाणिज्यिकीय योजनाओं के लिए किसी वन भूमि का उपयोग करना चाहता है, इन नियमों से संलग्न सुसंगत रूप अर्थात् : अधिनियम के अधीन पहली बार अनुमोदन चाहने वाले : ताव के लिए रूप 'क' जहां अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन पहले ही

प्राप्त कर लिया गया है वहां पट्टों के नवीकरण की ईप्सा करने वाले : ताव के लिए रूप 'ख' और खिन्जों के पूर्वक्षण के लिए रूप 'ग' सभी की बाबत पूर्ण अपेक्षित सूचना और दः तावेजों सहित संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र शासन के नोडल अधिकारी को सुसंगत रूप में अपने : ताव करेगा।

(2) : थल ता अभिकरण, नोडल अधिकारी के कार्यालय से अभिप्राय की रसीद की : तुति के साथ : ताव की एक : तुति संबद्ध : भागीय वन अधिकारी, जिला कलेक्टर और : थल कार्यालय साथ ही पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन संरक्षण : भाग के निगरानी : थल को पृष्ठान्त करेगा।

3. (क) यथास्थित, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र शासन का नोडल अधिकारी उपधारा (1) के अधीन : ताव प्राप्त करने के पश्चात् और उसका यह समाधान हो जाने पर कि सभी : थल

से : ताव पूर्ण है

और यह अधिनियम की धारा 2 के अधीन पूर्व अनुमोदन की

अपेक्षा करता है, : ताव की : थल के दस

दिन की अवधि के भीतर संबद्ध : भागीय वन अधिकारी और

जिला कलेक्टर को : ताव भेजेगा।

(ख) यथास्थित, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र शासन का नोडल अधिकारी यदि यह पाता है कि : ताव अपूर्ण है तो वह उपभोक्ता अभिकरण को दस दिन की अवधि के भीतर इसे वापस करेगा और : ताव

को पुनः ूः तुलित किए जाने के लिए उपभोक्ता ता अभिकरण द्वारा ली गई यह समय अविध और लिए गए समय को किसी भावी संदर्भ के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।

(ग) ू भागीय वन अधिकारी, वाः तिवक ब यौरे और ूः ताव की संभाव्यता की जांच करेगा, मानिच ू माणित करेगा, ूः थल निरीक्षण और वृक्षों की परिगणना करेगा और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निं कर्ष वन संरक्षक को अमेिषित करेगा।

(घ) ू

भागीय वन अधिकारी, चालीस हैक् टर तक, चालीस हैक् टर से अधिक और एक सौ हैक् टर तक तथा एक सौ हैक् टर से अधिक वन भूमि को सिमिलित करने वाले ूः ताव पर अपने निं कर्ष बमशः तीस दिन, पैतालीस दिन और साठ दिन की अविध के भीतर वन संरक्षक को भेजेगा।

(ड) िजला कलेक् टर, अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) िजसे एक आर ए के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) के उपबंधों के अनुसार अधिकारों के परिनिर्धारण के लिए िबया पूरी करेगा और माम सभा या माम सभाओं से सम्मित ूाप् त करेगा, जब कभी आवँयक हो और इस संबंध में विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपने निं कर्ष वन संरक्षण को अमेिषित करेगा।

1. पर्यावरण और वन मंडालय अधि. सा.का.नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपड (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (i) दिनांक 14 मार्च 2014 पर लूकाशित के नियम 2 में जोड़ा गया।

(च) िजला कलेक् टर एफ आर ए के अधीन अधिकारों के व्यवस्थापन के संबंध में अपने निंकषोर् के साथ ूःताव और चालीस हैक् टर तक, चालीस हैक् टर से अधिक और एक सौ हैक् टर तक और एक भी हैक् टर से अधिक वन भूमि वाले ूःताव की बावत् माम सभा या माम सभाओं की सम्मित जहाँ अपेक्षित हो बमशः तीस दिन, पैतालीस दिन और साठ दिन की अविध के भीतर वन संरक्षक को अमेिषित करेगा।

(छ) वन संरक्षक, वाः तिवक ब यौरे और ूःताव की संभाव्यता की जांच करेगा, अपवर्तन किए जाने वाली ूःतावित वन भूमि का क्षेत्र चालीस हैक् टर से अधिक है, उस मामले में ूः थल निरीक्षण करेगा और अपनी िसफारिशों के साथ ूःताव और एफ आर ए के अधीन अधिकारों के परिनिर्धारण पर रिपोर्ट और जब कभी आवँयक हो िजला कलेक् टर से ूाप्त संबद्ध से ूाप्त संबद्ध माम सभा या माम सभाओं की सम्मित नोडल अधिकारी को अमेिषित करेगा।

(ज) वन संरक्षक द्वारा लूकिया के लिए लिया गया समय और नोडल अधिकारी को चालीस हैक् टर तक और चालीस हैक् टर अधिक वन भूमि सिमिलित करते हुए ूःताव बमशः दस दिन और तीस दिन से अनिध के लिए अमेिषित करेगा।

(झ) नोडल अधिकारी ूधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से िसफारिशों के साथ यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन को ूःताव अमेिषित करेगा।

(ण) नोडल अधिकारी पांच हैक् टर तक, पांच हैक् टर से अधिक और चालीस हैक् टर तक और चालीस हैक् टर से अधिक और सौ हैक् टर तक और सौ हैक् टर से अधिक वन भूमि वाले ूःताव पर अपने निंकषोर् सहित बमशः दस दिन, बीस दिन, पच्चीस दिन और तीस दिन की अविध के भीतर कायवाही करेगा और उसे यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन को अमेिषित करेगा।

(ट) यदि यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन ूःताव में, उपदिशर्त वनभूमि को गैर वन के ू योजन के लिए यथािःथित, अनारिक्षत या अपवर्तन या पट्टे पर नहीं देने का विनिश्चय कर सकेगा उसी को नोडल अधिकारी से ूाप्त ूःताव की ूाप्ति के तीस दिन के भीतर लूयोक्ता अभिकरण को संसूचित किया जाएगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार उपबमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि का अपवर्तन सिमिलित करते हुए सभी ूःताव जहाँ यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन ूःताव में उपदिशर्त गैर वािनकी लूयोजन के लिए यथािःथित अनारिक्षत या अपवर्तन करने के लिए वन भूमि को पट्टे पर देने के लिए िसद्धान्तः सहमत नहीं है, वहाँ यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन की टीका-टिप्पणियों के साथ केन्ीय सरकार को अमेिषित किया जाएगा।

(ठ) यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन इसकी िसफारिशों के साथ उन समी ूःतावों को अमेिषित करेगा जहाँ यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन गैर वािनकी लूयोजन के लिए यथािःथित, अनारिक्षत या अपवर्तन करने के लिए या ूःताव में उपदिशर्त वन भूमि पट्टे पर समनुदेशित काने के लिए िसद्धान्तः सहमत हैं और केन्ीय सरकार या केन्ीय सरकार उपबमों की परियोजनाओं के लिए वन भूमि के अपवर्तन को अंतर्वर्तित करते हुए सभी ूःताव तीस दिन के भीतर केन्ीय सरकार को भेजेंगे :

परंतु पुनर्वर्षण के लिए इसके उपयोग के लूयोजन के लिए वन भूमि या इसके भाग पर वृक्षों

को काट िगराने वाले सभी ूः ताव कायर् योजना या कायर्करण ूःकीम या ूबंधन योजना के रूप में भेजे जाएँगे।
परंतु यह और िक यथािःथित, संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ू शासन
इसकी िसफािरशों के साथ ूःताव अमेिषित करने के बारे में ू योक्ता अभिकरण या यथािःथित ू
ादेिशक कार्यालय या पर्यावरण और वन मंडालय को सूचना भेजेगा।

परंतु यह भी िक यथािःथित, राज्य सरकार या राज्यक्षेS ूशासक में िविभन् न
ूाधिकारियों के बीच ूःताव के पिरवहन के िलए अनन्य रूप से िलया गया कुल समय ूत्येक ूाधिकारी
द्वारा ू ःताव की कायर्वाही के िलए िविनिर्दष्ट समय अविध से बीस िदन से अधिक नहीं होगा।

(ड) जब कभी कायर्वाही के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ू शासन द्वारा िलया गया
ू ःताव के िलए िलया गया समय उपरोक्त (क) से (ठ) अनुबद्ध समय सीमाओं से अधिक होता है तब
केन् िीय सरकार द्वारा केवल तब ूः ताव पर िवचार िकया जायेगा यदि िवलंब के िलए उत्तरदायी होने
के िलए धारित िकसी व्क्ति के िवरुद्ध की गई कायर्वाही के साथ केन् िीय सरकार का समाधान करने के
िलए िवलम्ब हेतु ःपष्टीकरण िदया जाता है।

4 (क) चालीस हैक्टर तक वन भूमि सिमिलत करते हुए उपिनयम (3) के खंड (ठ) में िनिर्दष्ट ूःताव को
इसकी िसफािरशों के साथ यथािःथित संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ू शासन द्वारा संबद्ध
ू ःताव के िलए िलया गया समय उपरोक्त (क) से (ठ) अनुबद्ध समय सीमाओं से अधिक होता है तब
केन् िीय सरकार द्वारा केवल तब ूः ताव पर िवचार िकया जायेगा यदि िवलंब के िलए उत्तरदायी होने
के िलए धारित िकसी व्क्ति के िवरुद्ध की गई कायर्वाही के साथ केन् िीय सरकार का समाधान करने के
िलए िवलम्ब हेतु ःपष्टीकरण िदया जाता है।

(ख) चालीस हैक्टर से अधिक वन भूमि सिमिलत करते हुए उपिनयम (3) के खंड (ड) में िनिर्दष्ट ूःताव,
संबद्ध यथािःथित, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन द्वारा अपनी िसफािरशों के साथ सिचव,
पर्यावरण और वन मंडालय, भारत सरकार को अमेिषित िकया जाएगा।

(ग) पुनः वनरोपण के िलए उसके उपयोग के ूयोजन के िलए वनभूमि या उसके भाग में वृक्षािवहीन क्षेS
को सिमिलत करते हुए उपिनयम (3) के खंड (ठ) में िनिर्दष्ट ूःताव संबद्ध ूादेिशक कार्यालय को
भेजे जाएँगे।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा ूाप्त ूःतावों को ूबिया

(1) (क) ू ःताव के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन द्वारा ूाप्त करने के
पश्चात् पांच कायर् िदवस के भीतर ूःताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ख) यदि ूादेिशक कार्यालय यह पाता है िक ूःताव अपूर्ण है, तों वह यथािःथित राज्य सरकार या संघ
राज्यक्षेS ूशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदिशर्त पांच कायर् िदवस के भीतर वापस करेगा और
इस अविध तथा ूःताव पुनः ूःतुत करने के िलए राज्य सरकार द्वारा िलयेगये समय की िकसी ूावी
िन्देश के िलए गणना नहीं की जाएगी।

(2) (क) ू ःताव के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन द्वारा ूाप्त करने के
पश्चात् पांच कायर् िदवस के भीतर ूःताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।
(ख) यदि ूादेिशक कार्यालय यह पाता है िक ूःताव अपूर्ण है, तों वह यथािःथित राज्य सरकार या संघ
राज्यक्षेS ूशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदिशर्त पांच कायर् िदवस के भीतर वापस करेगा और
इस अविध तथा ूःताव पुनः ूःतुत करने के िलए राज्य सरकार द्वारा िलयेगये समय की िकसी ूावी
िन्देश के िलए गणना नहीं की जाएगी।

(2) (क) ू ःताव के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन द्वारा ूाप्त करने के
पश्चात् पांच कायर् िदवस के भीतर ूःताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।
(ख) यदि ूादेिशक कार्यालय यह पाता है िक ूःताव अपूर्ण है, तों वह यथािःथित राज्य सरकार या संघ
राज्यक्षेS ूशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदिशर्त पांच कायर् िदवस के भीतर वापस करेगा और
इस अविध तथा ूःताव पुनः ूःतुत करने के िलए राज्य सरकार द्वारा िलयेगये समय की िकसी ूावी
िन्देश के िलए गणना नहीं की जाएगी।

(ग) ू ःताव के िलए यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन द्वारा ूाप्त करने के
पश्चात् पांच कायर् िदवस के भीतर ूःताव की पूर्णता का अवधारण करेगा।
(ख) यदि ूादेिशक कार्यालय यह पाता है िक ूःताव अपूर्ण है, तों वह यथािःथित राज्य सरकार या संघ
राज्यक्षेS ूशासन को उपखंड (क) के अधीन यथाउपदिशर्त पांच कायर् िदवस के भीतर वापस करेगा और
इस अविध तथा ूःताव पुनः ूःतुत करने के िलए राज्य सरकार द्वारा िलयेगये समय की िकसी ूावी
िन्देश के िलए गणना नहीं की जाएगी।

परंतु ूादेिशक कार्यालय से पर्यावरण और वन मंडालय के भेजे जाने के िलए ूःताव के
पारगमन में िलया गया समय पांच िदन से अधिक नहीं होगा।

(घ) केन् िीय सरकार, सलाहकार समूह के िवचारों पर िवचार करने के पँ चात् और आगे जांच जो वह आवँयक
समझे, करने के पँ चात् िसद्धांततः अनुबद्ध शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन अनुमोदन ूदान कर सकेगा या
ूादेिशक कार्यालय से इसकी ूाप्ति के तीस िदन के भीतर उसी को अःवीकृत कर सकेगा और अगले
पांच कायर् िदवसों के भीतर संबद्ध यथािःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेS ूशासन को संसूचित करेगा।

- (3) (क) पुनः वनरोपण के लिए इसमें उपयोग के लिये वन भूमि या उसके किसी भाग में वृक्षाहीन क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए सभी लक्ष्यों का निपटान अंतिम रूप से यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन से लक्ष्यों की पूर्ति के साथ दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा।
- (ख) लक्ष्यों की परीक्षा करते समय प्रादेशिक कार्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि अंतिम विनिर्देश समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राशीय वन नीति, कार्यक्रम योजना मार्गदर्शक सिद्धांत और अन्य सुसंगत नियम तथा मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप है।
- (ग) तथापि, प्रादेशिक कार्यालय पर्यावरण और वन मंत्रालय की पूर्वापत्ति चाहेगा जब कभी सम्मिलित क्षेत्र को ध्यान दिए बिना चालीस प्रतिशत से अधिक पूर्ण घनत्व वाली वन भूमि को वृक्ष विहीनता लक्ष्यों में शामिल है या घनत्व को ध्यान दिए बिना बीस हेक् टर मैदानों में और दस हेक् टर पहाड़ी क्षेत्रों में वन विहीन क्षेत्र सम्मिलित हैं।
- (4) (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय, नियम 6 उपनियम (4) के संड (ख) में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के पचास दिन के भीतर लक्ष्यों की पूर्ति का अवधारण करेगा।
- (ख) पर्यावरण और वन मंत्रालय यदि यह पाता है कि लक्ष्यों को अपूर्ण है तो यह यथास्थित, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र शासन को खंड (क) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दस दिन की अवधि के भीतर वापस करेगा और राज्य सरकार द्वारा पुनः लक्ष्यों को पूर्ण करने में ली गई समय अवधि और समय को किसी भी निर्देश के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।
- (ग) यदि लक्ष्यों में सौ एकड़ से अधिक वन भूमि अंतर्भूत है, पर्यावरण और वन मंत्रालय सभी वनभूमि का निरीक्षण करने के लिए संबद्ध प्रादेशिक निदेशक से अनुरोध करेगा और पैंतालीस वन की अवधि के भीतर पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट करेगा।
- परंतु पर्यावरण और वन मंत्रालय से निरीक्षण स्थल के लिए प्रादेशिक कार्यालय को अनुरोध की संसूचना में लिया गया कुल समय और प्रादेशिक कार्यालय से पर्यावरण और मंत्रालय को स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की संसूचना में लिया गया कुल समय प्रादेशिक कार्यालय द्वारा स्थल निरीक्षण किए जाने में लिए गए समय से अधिक दस दिन से अधिक नहीं होगा।
- (घ) केन्द्रीय सरकार ऐसे लक्ष्यों को लक्ष्यों को जो भली प्रकार से पूर्ण है जिसे स्थल निरीक्षण से रिपोर्टों सहित जहां अपेक्षित हो, नियम 6 के उपनियम (4) के खंड (ख) के अधीन इसके द्वारा पूर्ण किया गया था, इसकी सलाह के लिए समित को निर्दिष्ट करेगी और समित उक्त लक्ष्यों की पूर्ति की तारीख के तीस दिन के भीतर अपनी सलाह देगी।
- (ङ) समित, खंड (घ) के अधीन इसे निर्दिष्ट लक्ष्यों पर अपनी सलाह देते समय निम्नलिखित सभी मामलों को सम्यक् रूप से ध्यान रखेगी :-
- क्या गैर वन के लिये उपयोग की जाने वाली लक्ष्यों को आवृत वन भूमि प्राकृतिक रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य वन्यजीव रिजर्व का भाग बनाती है या वनः पित और जीव जंतु की लक्ष्यों के लिए किसी खतरे या आशंका के प्राकृतिक वास का भाग बनाती है या पृथक्: क्षय आवाह में आने वाला क्षेत्र है।
 - क्या वन भूमि का उपयोग कृषि लक्ष्यों के लिए या किसी नदी घाटी या जल विद्युत परियोजना के कारण से अपने निवास से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है।
 - क्या यथास्थित, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन ने लक्ष्यों को सम्मिलित किया है कि इसने सभी अन्य विकल्पों पर विचार किया है और यह कि परिस्थितियों में कोई अन्य विकल्प संभाव्य नहीं है और यह कि अपेक्षित क्षेत्र, लक्ष्यों के लिए न्यूनतम आवश्यकता है।
 - क्या यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन के किसी समतुल्य क्षेत्र और उसके पुनर्विकरण की भूमि का अर्जन करने के लिए इसकी लागत पर उपबंध करने के लिए जिम्मा लिया है।
 - क्या वन भूमि की लक्ष्यों में अपेक्षा उसी प्रकार के लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय औसत से महत्वपूर्ण रूप से अधिक है।
 - क्या यथास्थित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र शासन ने अपनी सिफारिशें करने से पूर्व वन, वन्यजीव और वातावरण पर वनभूमि के अपवर्जन का लक्ष्य और अलक्ष्य रूप से रखते हुए सभी मुद्दों पर विचार किया है।
- (च) सलाह देते समय, समित किसी गैर वन लक्ष्यों के लिए किसी वन भूमि के उपयोग पर किसी शर्त या निबंधन का भी सुझाव दे सकेगी जो इसकी राय में लक्ष्यों को पूर्ण पर्यावरणीय समाधान को न्यून करेगा।
- (छ) केन्द्रीय सरकार खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन समित की राय पर विचार करने के पचास और ऐसी आगे जांच जिसे आवश्यक समझा जा सके, के पश्चात् अनुबद्ध शर्तों के पूरा होने के अध्वधीन सिद्धांतः अनुमोदन

करेगी या सिमित से सलाह की ूाप्ति के तीस िदन के भीतर उसे अःवीकृत करेगी और उसी की अगले पांच कायर् िदवस के भीतर यथाःथित राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेऽ ूशासन को संसूचित करेगी।

8. िसद्धान्ततः अनुमोदन और अंतिम अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर के अनुपालन पर िरपोटर् की ूः तुति ढ

(1) (क) नोडल अधिकारी िसद्धान्ततः अनुमोदन की ूाप्ति के पांच िदन के भीतर उसी की एक ूति संबद्ध ूभागीय वन अधिकारी और वन संरक्षक को पृं ठांकित करेगा।

(ख) िसद्धान्ततः अनुमोदन की ूाप्ति की ूतियों पर ू भागीय वन अधिकारी, सृजन की लागत ू योक् ता अभिकरण द्वारा संदत् त िकए जाने के िलए क्षितपूरक वनरोपण के बनाए रखने, शुद्ध वतर्मान मूल य (एन पी वी) जलमहण क्षेऽ बिहः ऽाव योजना के िबयान् वयन की लागत या वन् यजीव संरक्षण योजना आद में क्षितपूरक उद्ग्रहणों की मद वार रकम अतिवर् ट करते हुए मांग िटप् पण तैयार करेगा और उसे ू योक् ता अभिकरण को िसद्धान् त अनुमोदन में अनुबद्ध शतोर के अनुपालन में ूयोक् ता अभिकरण द्वारा ू ः तुत िकए जाने के िलए अपेक्षित दः तावेजों ूमाणपऽों की सूची और वचनबंधों के साथ िसद्धान्ततः अनुमोदन की ूति ूाप्ति के दस िदन के भीतर ूयोक् ता अभिकरण को संसूचित करेगी।

(ग) ू योक् ता, अभिकरण, ूभागीय वन अधिकारी से मांग िटप् पण और दः तावेजों ूमाणपऽों और वचनपऽों की सूची की ूाप्ति के तीस िदन के भीतर क्षितपूरक उद्ग्रहणों का संदाय करेगा और उक् त सूची में उप दिशर्त दः तावेजों, ू माणपऽों और वचनबंधों के साथ क्षितपूतिर् उद्ग्रहणों के संदाय की बावत् दः तावेजी साआ य की एक ूति अतिवर् ट करते हुए अनुपालन िरपोटर् ूः तुत करेगा।

(घ) वन संरक्षक, अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात् ूयोक् ता अभिकरण से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ङ) यिद ूभागीय वन अधिकारी यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूर्ण है तो वह ूयोक् ता अभिकरण से इसकी ूाप्ति पन् िह िदन की अविध के भीतर ूयोक् ता अभिकरण को अनुपालन िरपोटर् की कमी या किमयों को संसूचित करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ू कार से पूर्ण है तो उस ू योक् ता अभिकरण से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन के भीतर वन संरक्षक को अमेषित करेगा।

(च) वन संरक्षक, अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात् ूभागीय वन अधिकारी से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(छ) यिद वन संरक्षक यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूर्ण है तो वह ूयोक् ता अभिकरण और ूभागीय वन अधिकारी से इसकी ूाप्ति के पन् िह िदन की अविध के भीतर इसकी कमी या किमयों को संसूचित करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूर्ण है तो उसे ूभागीय वन अधिकारी से इसकी ूाप्ति के पन् िह िदन की अविध के भीतर नोडल अधिकारी को अमेषित करेगा।

(ज) नोडल अधिकारी अनुपालन िरपोटर् की ूाप्ति के पँ चात् संरक्षक से इसकी ूाप्ति के पन् िह िदन की अविध के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(झ) यिद नोडल अधिकारी यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूर्ण है तो वह वन संरक्षक से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन भीतर ूयोक् ता अभिकरण वन संरक्षक और ूभागीय वन अधिकारी को अनुपालन िरपोटर् की कमी या किमयों के बारे में संसूचित करेगा और यिद अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूर्ण है तो इसे वन संरक्षक से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन की अविध के भीतर यथाःथित राज् य सरकार या संघ राज्यक्षेऽ ूशासन को अमेषित करेगा।

(ञ) यथाःथित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ ूशासन यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् ूाप् त करने के पँ चात् नोडल अधिकारी से इसकी ूाप्ति के पंिह िदन की अविध के भीतर इसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ट) यिद यथाःथित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ ूशासन यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् अपूर्ण है तो वह नोडल अधिकारी से इसकी ूाप्ति के पंिह िदनों के भीतर ूयोक् ता अभिकरण नोडल अधिकारी, वन संरक्षक और ू

भागीय वन अधिकारी को इसकी अनुपालन िरपोटर् में कमी या किमयों के बारे में संसूचित करेगा।

(ठ) यथाःथित पर्यावरण या वन मंऽालय या ूादेऽिशक कार्यालय अनुपालन िरपोटर् पालन करने के पँ चात् पंिह िदन की अविध के भीतर उसकी पूर्णता का अवधारण करेगा।

(ड) यिद यथाःथित, पर्यावरण और वन मंऽालय या ूादेऽिशक कार्यालय यह पाता है िक अनुपालन िरपोटर् सभी ूकार से पूर्ण है तो यह अधिनयम के अधीन अंतिम अनुमोदन के अनुरूप होगी और उसी की अनुपान

रिपोटर्, जो सभी प्रकार से पूर्ण है, रूपांश के बीस दिन की अवधि के भीतर यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन को संसूचित किया जाएगा।

- (ढ) अनुपालन रिपोटर् में कमी या किमियों को पूरा किए जाने पर रिपोटर् पर कायवाही की जाएगी और यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन और केन््रीय सरकार को ऊपर खंड (घ) से खंड (ड) में अनुबद्ध रीति और समय सीमा में संबद्ध रूपांशकारियों को अमेष्ठित की जाएगी।
- (2) (क) उन मामलों में जहां यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन से पांच वर्ष से अधिक के िलए िसद्घांतः अनुबद्ध के अनुबद्ध शतर् का पालन रूतिष्ठित है वहां िसद्घांततः संक्षेप में रूतिसंगृहीत किया जाएगा। (ख) यदि यथास्थित, रूयोक् ता अभकरण या राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन अब भी पिरयोजना में िहतबद्ध है तो रूतिसंहरण के पँचात् वे नए रूः ताव कर सकेंगे िजस पर नए िसरे से िवचार किया जाएगा।
- (3) (क) यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन द्वारा खनन पिरयोजना के िलए अधिनयम के अधीन किए गए िसद्घांततः अनुबद्ध अनुमोदन में शतर् के अनुपालन पर रिपोटर् रूः तुत किए जाने से पूर्वर और िसद्घांततः अनुमोदन की मंजूरी की तारीख से पांच वर्ष के भीतर केन््रीय सरकार द्वारा अंतिम अनुमोदन की मंजूरी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन अधिनयम के अधीन केन््रीय सरकार का अनुमोदन रूपात् करने के नए िसरे से रूः तुति के बजाए खनन पट्टे की िविधमान् यता समाप्त होती है तो यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन िसद्घांततः अनुमोदन में अनुबद्ध शतर् के अनुपालन पर रिपोटर् रूः तुत करते समय खनन पट्टे की बीस वर्ष से अनिधक मूल अवधि िजसके िलए िसद्घांततः अनुमोदन पहले किया गया है और यथास्थित राज् य सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन द्वारा यथाविनिदरु ट अवधि के िलए खनन पट्टे के नवीकरण के िलए भी ऐसी वन भूमि के अपवर्जन के िलए अधिनयम के अधीन केन््रीय सरकार अंतिम अनुमोदन मांग सकेगी।
- (ख) ऐसे रूः तावों को यथा लागू कानूनों पिरपडों या िनदेशों के अनुपालन पर रिपोटर् जो िसद्घांततः अनुमोदन की मंजूरी के पँचात् रूवृत्त हुई थी, यदि कोई है, िसद्घांततः अनुमोदन में अनुबद्ध शतर् के िलए अनुपालन रिपोटर् के साथ केन््रीय सरकार को भी रूः तुत की जाएगी।
- (ग) खनन पट्टे की मूल अवधि के िलए ऐसी वन भूमि के अपवर्जन हेतु अधिनयम के अधीन अंतिम अनुमोदन की मंजूरी से अलग ऐसे मामलों में केन््रीय सरकार यथास्थित वन सलाहकार सिमित, या राज् य सलाहकारी समूह की सलाह पर िवचार करने के पँचात् और आगे जांच जो वह ठीक समझे, के पँचात् अवधि जो केन््रीय सरकार द्वारा समुचित शतर् या उनकी अः वीकृति के साथ जो बीस वर्ष से अनिधक नहीं होगा, के िलए खनन अधिकार के नवीकरण के िलए यथास्थित, राज् य सरकार या संघ सरकार या संघ राज् यक्षेऽ शासन के रूः ताव को आरंभक अनुमोदन कर सकेगी।"

9. इस अधिनयम के अन्तर्गत अपराध होने पर कायवाही ढ

- (1) केन् ि शासन, उन वन क्षेऽ जहां इस अधिनयम या उसके अन्तर्गत बने िनयमों के सम्बन्ध में अपराध हुआ है, के िलए अधिसूचना द्वारा वन संरक्षक ः तर के या उस वन क्षेऽ पर क्षेऽाधिकार रखने वाले अधिकारी को, उस न् यायालय में, िजसके क्षेऽाधिकार में वह भूमि िःथत हो, उस/उन व् यिक्तायों के िवरूद्ध िजन् होने िजनके िवरूद्ध रूाथिमक रूप से इस अधिनयम के अन्तर्गत अपराध करना पाया जाता है, िशकायत दजर करने हेतु अधिकृत करेगा।
- परन्तु ऐसी िशकायत तब तक दजर नहीं की जावेगी जब तक उन व् यिक्त/व् यिक्तायों को उस अपराध के संबंध में, िजसकी न् यायालय में िशकायत दजर की जाना है, िलिखत सूचना न दी जावे तथा उन् हें अपने बचाव के िलए 60 दिन के अन्तर उत्तर देने का अवसर न िदया जावे।
- (2) उपरोक्त उपिनयम (1) के अन्तर्गत केन् ि शासन द्वारा अधिकृत अधिकारी, राज् य शासन, अन् य अधिकारी, व् यिक्त या रूाधिकारी से िनधारित समय सीमा में ऐसी रिपोटर्, सांख्यिकी अभिलेख, िनयम आद की जानकारी, जो सम्बन्धित न् यायालय में िशकायत दजर करने में आवँयक हो मांग सकेगा और रू त् येक राज् य सरकार, अधिकारी, व् यिक्त या रूाधिकारी ऐसी जानकारी देने हेतु बाध्य होगा।

अनुसूची
(नियम 6 देखें)

राज् य सरकार या अन् य रूाधिकारी द्वारा पूर्वर अनुमित लेने का फामर्

- (1) पिरयोजना के ब्यौरे ढ
- (i) उन रूः ताव तथा पिरयोजना/ः कीम का संक्षिप् त िववरण िजस हेतु वन भूमि आपेक्षित है।
- (ii) वांछित वन भूमि का साथ लगे वन सहित मानिचऽ जो 1,50,000 ः केल पर हो।
- (iii) पिरयोजना की कुल लागत।
- (iv) पिरयोजना को वन क्षेऽ में लगाने का औचित् य।
- (v) लागत से होने वाले लाभ का ब्यौरा (Cost Benefit Analysis)।

- (2) कुल आवँयक भूमि का उपयोग के कारण सहित मद वार ब्यौरा (Purpose wise breakup of the land required)।
- (3) पिरयोजना के कारण वि: थापित होने वाले पिरवारों का विवरण :-
 (i) पिरवार की संख्या।
 (ii) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जनजाति के पिरवारों की संख्या।
 (iii) इनको पुनः बसाने की योजना (संलग्न) की जावे।
- (4) क् या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत : वीकृत आवँयक है। (हां/नहीं)
- (5) क्षितपूतिर वन रोपण को लगाने तथा उसकी सुरक्षा करने का मूल्य और / या दण्ड : वरूप क्षितपूतिर वृक्षारोपण तथा सुरक्षित क्षेत्र (Safety zone) में वृक्षारोपण एवं सुरक्षा का मूल्य जो उस योजना के अनुसार जो राज्य शासन ने तैयार की है का मूल्य वहन करने का वचन पड।
- (6) हिदायतों के अनुसार संलग्न नूमां पड, अभिलेख आदि के विवरण।
- दिनांक : थान

२

ह: ताक्षर

नाम पद

..... उपयोगकर्ता का पता

: ताव का राज्य का अनुबर्मांक

(नोटल आफसर द्वारा भरा जावेगा)

भाग II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

: ताव का राज्य का अनुबर्मांक

- (7) पिरयोजना/ : कीम की भैगोलिक ि:थित :-
 (i) राज्य
 (ii) िजला
 (iii) वन मण्डल
 (iv) : तावित वन भूमि का क्षेत्रफल
 (v) वन की वैधानिक ि:थित
 (vi) वन: पित का घनत्व
 (vii) िसंचाई/पन िबजली योजना के मामले में FRI, FRI-2 मीटर FRI 4 मीटर पर वैज्ञानिक नामों में िजाति वार, तथा गोलाई वार (Diameter Class) वार वृक्षों की गणना की सूचि।
 (viii) भूमि कटाव के िलए वन क्षेत्र का महत्व पर संक्षिप्त नोट।
 (ix) वन की सीमा से : तावित भूमि की दूरी।
 (x) क् या यह भूमि िकसी राष्ट्रीय उद्यान, वायोि:फर रिजर्व, टायगर रिजर्व, हाथी का मार्ग (Elephant Corridor) आदि का भाग है। यदि हां तो क्षेत्र के विवरण सहित मुख्य वन ाणी संरक्षक (Chief Wildlife warden) की राय सहित : तुत करें।
 (xi) क् या क्षेत्र में कोई दुर्लभ/संकटा पड/एकमेव (Unique) वन: पित या ाणी पाया जाता है। यदि हां तो विवरण दे।
 (xii) क् या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्व/राष्ट्रीय महत्व/या Defence establishment/या कोई महत्व पूर्ण पुरानी यादगार (monument) ि:थित है, यदि हां तो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का अनापित (NOC) संलग्न करें।
- (8) क्या उपयोगकर्ता द्वारा माँगी गई वन भूमि (भाग 1 के कालम 2 में दी हुई) को बदला नहीं जा सकता, तथा पिरयोजना के िलए आवँयक भूमि का न्यूनतम है ? यदि नहीं तो इसके एवज में पिरवितर्त ंथल िजसका िनरीक्षण िकिया गया, का विवरण दे।
- (9) क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन कर िकिया है (हां/नहीं) यदि हां तो उसका विवरण, कार्य करने का समय, गलती करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें क् या ऐसा कार्य अभी चालू है।
- (10) क्षित वन रोपण योजना का ब्यौरा :-
 (i) क्षितपूरक वन रोपण के िलए पहचान िकिये गये गैर वन क्षेत्र, अवबिमत वन क्षेत्र का ब्यौरा, िनकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, िह:सों की संख्या ित्येक िह:से का आकार ।

- (ii) क्षितपूरक वन रोपण के लिए पहिचान किये गये गैर वन क्षेत्र/अवबिमत वन क्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र।
- (iii) रोपण की जो वाली रूजितयों, कायान्वयन एजेन्सी, समय-सूची, लागत डाटा आदि सहित विवृत क्षित पूरक वन रोपण की कीम।
- (iv) क्षित पूरक वन रोपण की कीम के लिए कुल विवृत तीय पिरव्यय।
- (v) वन रोपण के लिए क्षित पूरक वन रोपण हेतु पहिचान किये गये क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और रू बंध की दृष्टि से सक्षम रूधिकारी से रूमाण पड (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाये जो किक उप-वन संरक्षक की रूेणी के नीचे का अधिकारी नहीं हो)।
- (11) उप वन संरक्षक द्वारा ंथल निरीक्षण की रिपोर्ट जिसमें कालम (11, 12) तथा उपरोक्त 8, 9 के विषय में विवृत तीय हो।
- (12) वन मण्डल/जिले की जानकारी ढ
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल
- (ii) जिले का वन क्षेत्र
- (iii) वर्ष 1980 से किकतना क्षेत्र का निवर्नीकरण हुआ। रूकरणों की संख्या सहित।
- (iv) जिले/वन मण्डल से वर्ष 1980 से किकतना क्षितपूतिर वृक्षारोपण रूः तावित था ढ
- a) वन भूमि पर (दण्ड ंः वरूप क्षितपूतिर वनरोपण सहित)
- b) गैर वन भूमि पर
- (v) क्षितपूतिर वृक्षारोपण की रूगित जो दिनांक को देखी गई
- a) वन भूमि
- b) गैर वन भूमि पर
- (13) उप वन संरक्षक (DCF) की विविशं टिसफारिश रूः ताव ंः वीकार करने या अन् यथा सम् बन्धी दिनांक ंः थान
- हः ताक्षर नाम पद सील
- भाग III
- (सम् बिन्धत वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)
- (14) क् या उस ंः थल का, जहां रूः तावित भूमि ंः थत है, वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किकया गया (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण दिनांक तथा निरीक्षण तीय संलग्न करें।
- (15) क् या वन संरक्षक भाग "B" में दी गई जानकारी तथा उप वन संरक्षक की टिसफारिश से सहमत हैं।
- (16) वन संरक्षक की विविशं टिसफारिश रूः ताव ंः वीकार करने या अन् यथा सम् बन्धी कारण सहित। दिनांक ंः थान
- हः ताक्षर नाम पद सील
- भाग IV
- (नोडल आफसर या रूमुख वन संरक्षक या वन विभाग के रूमुख द्वारा भरा जावेगा)
- (17) ंः ताव मन् जूर करने या न करने के संबंध में राज् य वन विभाग की विविशं टिसफारिश और विवृत तीय राय देते समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा दी गई विवृति परीत टिटप् पणी पर केटेगरी वार चर्चा की जावे और उस पर Critically comment की जावे। दिनांक थान हः ताक्षर ंः नाम पद सील
- भाग V
- सिचव, राज् य शासन, वन विभाग या अन् य अधिकारी जो अवर सिचव से कम ंः तर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।
- (18) राज् य शासन की टिसफारिश ढ

(नोट भाग - II, III, IV, में की गई विपरीत टिप्पणी पर विशेष नोट दिया जावे)

दिनांक

०: थान

ह: ताक्षर नाम पद सील

फार्म D B

देखें D नियम D (6)

उन योजना के लिये जिस को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत पूर्व में अनुमित दी जा चुकी है, उनके धारा (2) के अन्तर्गत नीवनीकरण के लिए फार्म।

भाग D I

- (1) उस पक्ष का ब. तथा दिनांक जिसके द्वारा केन्द्र शासन ने वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमित दी थी। (रूतिलिपि संलग्न करें।)
- (2) योजना का विवरण
 - (i) पिरयोजना, योजना के संबंध में, जिस हेतु वन भूमि की आवश्यकता है, संक्षिप्त टीप।
 - (ii) आवश्यक वन भूमि का, उसके लगे वन क्षेत्र दशार्ते हुए, 1,50,000 ०: केल का मान चिह्न।
 - (iii) पिरयोजना की लागत।
- (3) आवश्यक वन भूमि का मद वार ब. यौरा-जिसमें से कितने क्षेत्र पर काम हो गया है, कितना शेष है, दशार्ते।
- (4) हिदायतों के अनुसार आवश्यक माण पक्ष अभिलेख जो संलग्न किये उनका विवरण।

दिनांक ०: थान

ह: ताक्षर

नाम

पद

सील

राज्य का ०:ताव का अनुबर्मांक

(नोटल आफसर द्वारा भरा जावेगा)

भाग D II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

राज्य का ०:ताव का अनुबर्मांक

- (5) योजना/०: कीम का ०: थल D
 - (i) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
 - (ii) जिला
 - (iii) वन मण्डल का नाम
 - (iv) उप वन भूमि का, जिसका निवर्नीकरण ०:तावित है, क्षेत्रफल (है.)
 - (v) वन की वैधानिक िथित
 - (vi) वन:पित का घनत्व
 - (vii) खड़े क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, जीव मण्डल क्षेत्र (Biosphere Reserve), टायगर हेतु आरक्षित, हाथी मार्ग (Elephant Corridor) के अन्तर्गत है। यदि हाँ तो सम्बन्धित मुख्य वन ०:ाणी संरक्षक की राय संलग्न करें।
- (6) कृ या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) आदि हाँ, तो उस कार्य का विवरण, अविध, चूक करने वाले अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण दें/वया उल्लंघन अभी चालू है ?
- (7) उप वन संरक्षक द्वारा किये गये ०:थल निरीक्षण की रिपोर्ट जिसमें केन्द्र द्वारा ०:वीकृति के अन्तर्गत दी गई शर्तों का पालन कितना हुआ, दशार्ते जावे।
- (8) संभाग/जिले का विवरण -
 - (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल
 - (ii) जिले का वन क्षेत्र
 - (iii) वर्ष 1980 से कितने ०:करणों में कितना क्षेत्र का निवर्नीकरण हुआ।

(iv) वर्ष 1980 से जिला/वनमण्डल में एक तना क्षितपूतिर वृक्षारोपण होना था D

- वन भूमि पर (दिण्डक क्षितपूतिर वृक्षारोपण सहित)
- गैर व भूमि पर

(9) उपभोगकर्ता की रूःतावना को रूःवीकार करने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में राय (कारण सहित)।

दिनांक रूः थान

भाग - III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जावेगा)

(10) क या वन संरक्षक ने उस क्षेत्र का जहाँ ऐसी वन भूमि िःथत है, िनरीक्षण िकिया (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो िनरीक्षण का दिनांक तथा िनरीक्षण के दौरान जो देखा उस पर संक्षिप्त टीप दे। िनरीक्षण रूःतिवेदन संलग्न करें ।

(11) क्या भाग- II में उप वन संरक्षक द्वारा दी गई जानकारी एवं उप वन संरक्षक की राय से वन संरक्षक सहमत है।

(12) वन संरक्षक की िवशेष िसफारिश, रूःताव मानने या अमान्य करने िवषयक, (कारण सहित)।

दिनांक

रूः थान

हः ताक्षर नाम पद सील

भाग - IV

(नोडल आफसर/रूमुख वन संरक्षक, या वन िवभाग रूमुख द्वारा अग जायेगा)

(13) राज्य वन िवभाग की िविशष्ट राय रूःताव को अनुमित देने या न देने सम्बन्धित िनिश्चित िसफारिश।

दिनांक

थान

हः ताक्षर रूः

नाम

पद

सील

भाग - V

राज्य शासन के सिचव, वन िवभाग या अन्य अधिकृत अधिकारी, जो अवर सिचव से कम रूतर का न हो, द्वारा भरा जावेगा।

(14) राज्य शासन की िसफारिश

भाग- II, III तथा 14 में की गई िवपरीत टीप पर िवशेष टीप दी जावे।

दिनांक

रूः थान

हः ताक्षर नाम पद सील

1["रूरूप ग"]

वन भूमि में खिनजों के सवेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य रूाधिकारियों द्वारा रूःतावों को धारा 2 के अधीन पूर्वर मंजूरी लेने वाला रूरूप।

भाग D 1

(रूयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. पिरयोजना के ब यौर :

- योक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब यौर
- योक्ता अभिकरण की िविधक रूािःथित
- आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता
- योक्ता अभिकरण के िनिमत आवेदन करने के िलए इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या रूाधिकार के समर्थन में दःतावेज (हाँ/नहीं)
- खोजी जाने वाली खिनज वःतु
- दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में िकए जाने वाले रूःतावित िबयाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा
- योक्ता अभिकरण के पक्ष में पूवेक्षण अनुज्ञिप्त की मंजूरी के िलए संबध्द यथािःथित मंडालय था िवभाग द्वारा दिदए जाने वाले अनुमोदन के ब यौर
- पूवेक्षण पट्टे में सिम्मिलत सिम्मिलत वन और गैर वन भूमि के ब यौर

- (ix) पूर्वक्षेपण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :
 - (क) भूमि उपयोग अथवा पिरवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
 - (ख) वन भूमि में अथवा पिरवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (x) कुल अविध जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षेपण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए तैयार है :
- (xi) पिरयोजना की रूक किलत लागत:
- (xii) ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू रूक अथवा अति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में रूक अधिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है अपयोजित वन भूमि का ब्योरा :
- (xiii) ऐसे मामले में पूर्वक्षेपण की चालू रूक अथवा अति के साथ वन भूमि में खिनजों के पूर्वक्षेपण के लिए रूक अति अधिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमित के ब्योरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्योरा

- (i) पूर्वक्षेपण ब्लॉक की सीमा दिशत करने वाले 1:50000 स्केल परत (तों) का भारतीय सर्वेक्षण: पूर्वक्षेपण ब्लॉक के भीतर अविधित वन भूमि के रूक एक टुकड़े की सीमा, रूक एक नमूने प्लॉट की अविधितयां छेदने उप: करों के पिरवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध िछि अथल सडकों या पथमागर् (साथ ही नए पथ के रा: ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षेपण आद में पहचान की गई वन भूमि की सीमा से (10 कि.मी.) की दूरी पर अविधित संरक्षित क्षेत्र।

टिप्पणी 1. यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण अथलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषत:

अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप सावर्जनिक कार्यक्षेत्र के मामले और भारत अथलपरत के सर्वेक्षण के अथल पर अन्य रणनीतिक अविधितयां सावर्जनिक कार्यक्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पणी 2. तकनीकी कारणों से पूर्वक्षेपण िबयाकलाप करते समय, रूक अति अधिकरण 300 मीटर तक वेध- िछि नमूने प्लॉट खण्ड या पथ आद की अविधित में पिरवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले रूक तैयार वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले रूक तैयार वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

- 1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा.का.नि. 185(अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) दिनांक 14 मार्च 2014 पर प्रकाशित के रूप में जोड़ा गया।

- 3. (I) वन भूमि में पूर्वक्षेपण के लिए न्यायोचितता :
 - (II) जांच किए गए िवकल्पों के ब्योरे :
 - (III) गैर आबमक पूर्वक्षेपण िबया कलाप के ब्योरे यदि कोई हो, िव: तैयार रूक तैयार में उपदिशत वन भूमि में रूक अति अधिकरण द्वारा किया गया हो :
- 4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वक्षेपण के लिए पहचान की गई वन भूमि अविधित है (हां/नहीं)
- 5. वन भूमि में किए जाने वाले रूक तैयार िबया कलापों के ब्योरे :
 - (i) सतह नमूने
 - (क) माह रूक अतिचयन
 - (ख) िचप रूक अतिचयन
 - (ग) खांचा रूक अतिचयन
 - (घ) चैनल रूक अतिचयन
 - (ड) रूक अतिचयन
 - (च) पंक्ति अंतरालन नमूने सहित भूरसायन िमड रूक अतिचयन
 - (ii) गड्ढा या खाई बनाना
 - (क) गड्ढों या खाइयों की संख्या और व्यास
 - (ख) उत्खनन की कुल माप
 - (ग) गड्ढों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र
 - (iii) वेधन
 - (क) वेध िछि या कुओं की संख्या और व्यास
 - (ख) वेध िछि या कुओं का अंतरालन
 - (ग) रूक वेध िछि या कुओं पर अथवा रूप से बाधित किये जाने वाले क्षेत्र (घ) रूक वेध िछि या कुओं पर अथवा रूप से बाधित दिए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है (ड) वेध िछि या कुओं का मापन

- (च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
(छ) वेधन कोर नमूनों की मास
- (iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण
(क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली ढ़ः तावित वन भूमि का क्षेत्र
- (v) कोई अन्य िबयाकलाप (कृपया िविनिर्दष्ट करें)
कुल :
6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अथायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- (i) सतह ढ़ितचयन :
(ii) गड्ढा या खाई बनाना :
(iii) वेधन:
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण:
(v) कोई अन्य िबयाकलाप (कृपया िविनिर्दष्ट करें)
कुल :
7. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में ाथायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र
- (i) सतह ढ़ितचयन :
(ii) गड्ढा या खाई बनाना :
(iii) वेधन:
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण:
(v) कोई अन्य िबयाकलाप (कृपया िविनिर्दष्ट करें)
कुल :
8. पूवेक्षण के लिए िविनयोजित होने के लिए मशीनरी या उपकरणों के ब्यौरे ड
बम सं. उपकरण या कर्षण का आकार ढ़ाक् किलत अधिकतम मशीनरी का ढंग
(एल X बी िविनयोजन शोर ः तर नाम X
एच)(मशीनी घंटे) (डेसिबल)
9. वन भूमि में उपकरण या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु ढ़ःतावित िवद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।
10. पूवेक्षण के लिए िविनयोजित होने के लिए ढ़ःतावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अविध।
11. पूवेक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए ढ़ःतावित अयःक और अन्य नमूनों की ढ़ाक् किलत मास का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)
बम सं. नमूनों के ब्यौरे संगृहीत किए जाने के लिए ढ़ःतावित मास मीशिक टन
12. खिन्न आरक्षण िनधारण के लिए ढ़ाक् किलत शुद्धता आँवः त ः तर :
13. यदि वेध किए जाने के लिए ढ़ःतावित वेधन िछों की संख्या िनम् निलिखत के द्वारा कम की जाती है तो ढ़ाक् किलत शुद्धता और आँवः त ः तर :
- शुद्धता आँवः त ः तर (%)
- | | |
|-------|--------|
| (i) | (10 %) |
| (ii) | (20 %) |
| (iii) | (30 %) |
| (iv) | (40 %) |
| (v) | (50 %) |
14. यदि पूवेक्षण या अतिरिक्त वेध िछों वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अविध के िवः तार हेतु ढ़ःताव है, कृपया िनम् निलिखत अतिरिक्त जानकारी दें :-
(i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन िदए गए अनुमोदन के ब्यौरे
बम सं. िदए गए अनुमोदन पूवेक्षण (एच ए) के लिए अनुमोदन की िविधमान्य और तारीख अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र से तक

- (ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की पूर्णतः स्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
- (iii) उल्लंघन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
- (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए दी गई अनुज्ञा के वि: तार के लिए न्यायोचितता।
- (v) अभी तक किए गए पूर्वक्षेत्र विन्यासों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे

15. संलग्न नद: तावेजों के ब्यौरे D

तारीख :

स्थान :

ताक्षर

ह:

(स्थान: पं. ट. अक्षरों में नाम)

पदनाम
अभिकरण का)

पता (पू. यो. ता.
स्थान: ता. व. की राज. य. ब. मांक सं.)

.....

(पूर्णांकित की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

भाग D 2

(संबद्ध उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

16. प्रियोजना या स्थान की अवि:थ. स्थिति

(i) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

(ii) जिला

(iii) जिला वन विभाग

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विविध पूर्णांकित स्थिति :

18. अपवर्जन के लिए स्थान: ता. व. वन भूमि में उपलब्ध वन: पित का ब्यौरा

(i) वन का प्रकार

(ii) वन: पित का औसत पूर्ण घनत्व

(iii) जातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की

प्रियोजना (iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नु: खा

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि की लगभग दूरी:

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि की महत्व वता :

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्य जीव का ब्यौरा:

(ii) कृ या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्तुवास गिलघारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वाडन की और टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)

(iii) कृ या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवि:थत हैं। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाडन की और टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)

(iv) कृ या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्य जीव उत्तुवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवि:थत हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वाडन की टीका-टिप्पणियां उपाबद्ध की जाए)

(v) क्या क्षेत्र में वन: पित और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग-अलग स्थान: म के खतरे की पूर्णांकितियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थान: थल या स्थान: तिरक्षात्मक स्थान: थापन या कोई महत्वपूर्ण सं: मारक अवि:थत है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम पूर्णाधिकारी से अनापित्त मानापड (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे)

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली स्थान: ता. व. वन भूमि के वि: तार की युक्तियुक्त ता. के बारे में टीका-टिप्पणियां दे :

- (i) क्या भाग D 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में लूयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाः तावित वन भूमि की अपेक्षा अपिरहायर् है और पिरयोजना के लिए अति न्यूनतम है।
- (ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिसफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।
24. किए गए अतिबमण के ब्यौरे
- (i) क्या अधिनयम या अधिनयम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिबमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)
- (ii) यदि हां, की गई कार्यरं अविध, अतिबमण में अंतर्वर्तित वनभूमि, अतिबमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिबमण के ब्यौरे और अतिबमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विवरुद्ध की गई कार्यवाही
- (iii) क्या अतिबमण में कार्यर अब भी लूगित में है (हां/नहीं)
25. क्षितपूरक वनरोपण ः कीम के ब्यौरे :
- (i) क्षितपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विविधक लूांथित
- (ii) अविधित, सवेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षितपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें
- (iii) क्षितपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दिशर्त करने वाले 1:50,000 माप के मूल में ः थल परत भारत का सवेक्षण के सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।
- (iv) रोपित की जाने वाली लूजातियों कायान्वयन अभिवक्या, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षितपूरक वनरोपण ः कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)
- (v) क्षितपूरक वनरोपण ः कीम के लिए कुल वितीय उपरिव्यय :
- (vi) क्या क्षितपूरक वनरोपण के लिए और लूबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से लूमाणपड संलग्न है, (हां/नहीं)
26. वनःपित और जीव जंतु पर लूः तावित विब्याकलापों के समाघात से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य लूकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की ः थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न हैं (हां/नहीं)
27. ः वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ लूः ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिसफारिशें
- ः थान:
- तारीख:
- ताक्षर
- मुंा
- हः
नाम
शासकीय

भाग D 3

(संबद्ध वन संरक्षक द्वारा भरा जाए)

28. क्या ः थल, जहाँ अंतर्वर्तित वन भूमि अविधित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/नहीं) यदि हाँ, तो निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में किए गए निरीक्षण और सूक्ष्मण की तारीख संलग्न की जाये।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वनसंरक्षक की सिसफारिशों से सहमत है।
30. विवः तृत कारणों के साथ लूः ताव की ः वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिसफारिशें
- ः थान:
- तारीख:
- ताक्षर
- मुंा
- हः
नाम
शासकीय

भाग D 4

(नोडल अधिकारी या लूधान मुख् य वन संरक्षक या वन विभाग के लूमुख द्वारा भरा जाए)

31. रिटप् पिणयों सहित लूः ताव की ः वीकृति या अन्यथा के लिए व् यापक राय और विनिर्दिष्ट सिसफारिशें (राय समय वन संरक्षक या उप वन संरक्षक द्वारा की गई लू तिकूल टीका रिटप् पिणयों को लू वगार्त् मक रूप में पुनिवल्लिकित और उस पर आलोचनात् मक रिटप् पिणयां दी जानी चाहिये।

ः थान:

तारीख:

ताक्षर

मुिा

हः
नाम
शासकीयAppendix
[See Rule-
6]

From for seeking prior approval under Section 2 of the proposals by State Government and other authorities.

Part I
(To be filled by user Agency)

(1) Projects details –

- (i) Short narrative of the proposal and project/scheme for which forest is required.
- (ii) Map showing forest land boundary of adjoining forest on 1:50,000 Scale.
- (iii) Cost of the project
- (iv) Justification or location dies project in forest area.
- (v) Cost – benefit analysis (to be enclosed)
- (vi) Employment likely to be generated.

(2) Purpose-wise break-up of the total land required.

(3) Details of displacement of people due to die project if any :

- (i) Number of families.
- (ii) Number of Scheduled Castes/Scheduled Tribe families.
- (iii) Rehabilitation plan. (to be enclosed)

(4) Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required?
(Yes/No).

(5) Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/or penal compensatory afforestation as well as cost for protection and regeneration of Safety zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (undertaking to be enclosed).

(6) Details of Certificates/documents enclosed as required under the instructions.

Signature
(Name in Block letters)
Designation
Address (of User Agency)
Date

Place

.....
receipt)

State Serial No. of proposal
(To be filled up by the Nodal Officer with date of

Part II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of forests)

State Serial No. of proposal

(7) Location of the Project/Scheme

- (i) State/Union Territory
- (ii) District
- (iii) Forest division
- (iv)

Area of forest land proposed for diversion (in ha.) (v)

Legal status of forest.

- (vi) Density of vegetation.

(vii) Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees (to be enclosed. In case of irrigation/hydel projects enumeration at FRL, FRL-2 meter & FRL-4 meter also to be enclosed.)

(viii) Brief note on vulnerability of the forest area to erosion.

- (ix) Approximate distance of proposed site for diversion from boundary of forest.

- (x) Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (if so, the details of the area and comments of the Chief wildlife Warden to be annexed).
- (xi) Whether any rare/endangered/unique species of florae and fauna found in the area – if so details thereof.
- (xii) Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area. If so, the details thereof with NOC from competent authority, if required.
- (8) Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency in col. 2 of part I is unavoidable and barest minimum for the project. If no, recommended area item-wise with details of alternatives examined.
- (9) Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring officials, whether work in violation is still in progress.
- (10) Details of compensatory afforestation scheme
 - (i) Details of non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation, its distance from adjoining forest, number of patches, size of each patch.
 - (ii) Map showing non-forest/degraded forest area identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries.
 - (iii) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc.
 - (iv) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme.
 - (v) Certificates from competent authority regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view.

(To be signed by the concerned Deputy Conservator of Forests).
- (11) Site inspection report of the DCF (to be enclosed) especially highlighting facts asked in col. 7 (xi, xii), 8 and 9 above.
- (12) Division/district profile:
 - (i) Geographical area of the district.
 - (ii) Forest area of the district.
 - (iii) Total forest area diverted since 1980 with number of cases.
 - (iv) Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980 on
 - (v) Forest land including penal compensatory afforestation
 - (vi) non-forest land. (v) Progress of compensatory afforestation as on (date)
 - (vii) forest land.
 - (viii) Non forest land.
- (13) Specific recommendations of the DCF I or acceptance or otherwise of the proposal with reasons

Signature
e
Name
e

(Official

Seal) Date:

Place:.....

PART-III

(To be filled by the concerned conservator of
Forests)

- (14) Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of forests (Yes/No). if yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclosed.
- (15) Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and recommendation of Deputy Conservator of Forests.
- (16) Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

Signature
Name
(Official

Seal) Date:

Place:.....

PART-IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests
or Head of Fore: Department)

(17)Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise
of the proposal with remarks.

(While, giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy
Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

Signature Name it
(Official

Designation

Seal) Date:

Place:.....

PART-V

(To be filled in by the Secretary in-charge of Forest Department or by any other
authorized officer of the State Government not below the rank of an Under
Secretary)

(18)Recommendation of the State Government (Adverse comments made by any officer or authority in Part-C
or Part-D above should be specifically commented upon)

Signature Name it
(Official

Designation

Seal) Date:

Place:.....

INSTRUCTIONS (for Part-I) :

- 1.The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addi-to filling Col. I (i), e.g, IBM approved mining plan for major minerals/CMPDI plan with subsidence analysis reports, etc.
- 2.Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCI-Col. I (H).
- 3.Complete details of alternative alignments examined especially in case of project like roads, transmission lines, railway lines, canals, etc, to be shown on map with details of area of forest land involved in each alternative to be given Col. I(iii).
- 4.For proposals relating to mining, certificate from competent authority like Dis-Mining Officer about non-availability of the same mineral in surrounding/nearby non-forest area.
- 5.In case the same company/individual has taken forest land for similar project in the State, a brief detail of all such approvals/leases be given as an enclosure along with current status of the projects.
- 6.The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind. In case such information do not fit in the given columns, the same shall be annexed separately.

GENERAL INSTRUCTIONS -

- 1.On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating there in the name of the proposal, user agency, and area in hectare, serial number and date of receipt.
- 2.If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate detail s/docum ents.
- 3.While forwarding the proposal to the Central Government complete details on all aspects of the case as per Form, prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned to die State Government in original.
- 4.The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the same to be given in the forwarding/covering letter.

Form-‘B’

(See rule 6)

Form for seeking fresh approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities in respect of 'renewal of leases, which have been earlier granted clearance under Forest (Conservation) Act, 1980

PART-I

(to be filled up by user agency)

1.Letter No. & date vide which clearance under Forest (Conservation) Act, 1980 accorded by the Central Government (copy to be enclosed):

2.Personal details :

- (i)Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.
- (ii)Map showing the required forest land, boundary of adjoining forest on a 1,50,000 scale map.
- (iii)Cost of the project.

3.Purpose-wise break-up of the total land required (already broken & to be broken).

4.Details of Certificate s/documents enclosed as required under the instructions,

in Block letters)

Signature (Name

Designation Address

(of User Agency) Date:

Place:.....

State Serial No. of

proposal

(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal

5.Location of the Project/Scheme :

- (i) State/Union Territory
- (ii) District
- (iii) Forest Division.
- (iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.).
- (v) Legal status of forest.
- (vi) Density of vegetation.
- (vii)Species-wise (scientific names) and diameter class-wise enumeration of trees in unbroken area.
- (viii)Whether forms part of National Park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, etc. (If so, the details of the area and comments of the Chief Wild Life Warden to be annexed).

6.Whether any work in violation of the Act has been carried out (Yes/No). If yes, details of the same including period of work done, action taken on erring- offi-cials. Whether work in violation is still in progress.

7.Site inspection report of the DCF (to be enclosed) in respect to status of com-pliance of -conditions stipulated during earlier approval.

8.Division/District profile :

- (i)Geographical area of the district
- (ii)Forest area of the district.
- (iii)Total forest area diverted since 1980 with number of cases.
- (iv)Total compensatory afforestation stipulated in the district/division since 1980
 - on- (a) Forest land including penal compensatory.
 - (b) Non-forest land.
- (v)Progress of compensatory afforestation as on (date)
 - a)Forest land.
 - b)Non-forest land.

9.Specific recommendations of the DCF for acceptance or otherwise of the pro-posal with reasons.

Signature
Name
(Official

Seal) Date:

Place:.....

PART-I I I

(To be filled by the concerned Conservator of Forest)

10. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by concerned Conservator of Forests (Yes/ No). If yes, the date of inspection & observations made in form of inspection note to be enclose.

11. Whether the concerned Conservator of Forests agree with the information given in Part-B and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.

12. Specific recommendation of concerned Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with detailed reasons.

PART-IV

(To be filled in by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

13. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance or otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

& Designation

Seal) Date:

Place:.....

Signature Name
(Official)

PART-V

(To be filled in by the Secretary in-charge of forest Department or by and, other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

14. Recommendation of the State Government :

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon).

& Designation

Seal) Date:

Place:.....

Signature Name
(Official)

INSTRUCTIONS (for Part-I)

1. The project authorities may annex a copy of the approved project/plan in addition to filling Col. 2(1) e.g., MM approved mining plan for major minerals/ CMPDI Plan will) subsidence analysis reports, etc.

2. Map has to be in original duly authenticated jointly by project authorities and concerned DCF-Col. 2(ii). 3. In case the same company/individual has taken forest land for similar Project in the State a brief detail of all such approvals/ cases be given as an enclosure along with current status of the projects.

Item-wise requirement (Col. 3) should be separately shown for broken up and fresh areas.

The latest clarifications issued by the Ministry under Forest (Conservation) Act, 1980 may be kept in mind.

In case such information do not fit in the given proposal the same shall be annexed separately.

GENERAL INSTRUCTIONS –

1. On receipt of proposal. Nodal Officer shall issue a receipt to the user agency indicating therein the name of the proposal, user agency, area in hectare, serial number and date of receipt.

2. If the space provided above is not sufficient to specify any information, please attach separate details/documents.

3. While forwarding the proposal to the Central Government, complete details on all aspects of the case as per Form prescribed above read with the clarifications issued by the Ministry of Environment and Forests, Government of India, New Delhi should be given. Incomplete or deficient proposals shall not be considered and shall be returned on the State Government in original.

4. The State Government shall submit the proposal to the Central Government within stipulated time limits. In case of delay while forwarding, the reasons for the Same to be given In the forwarding/converging letter.

1[FORM-'C']

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Governments and other authorities for prospecting of minerals in forest land

PART-I

(To be filled in by User Agency)

1. Project details

- (i) Name, address and contact details of the User Agency :
- (ii) Legal status of the User Agency :
- (iii) Name, designation and full address of the person making application :
- (iv) Documents in support of the competence or authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency enclosed : (Yes/No)
- (v) Mineral commodity to be explored :
- (vi) Short narrative of the activities proposed to be undertaken in both forest and non-forest land
- (vii) Details of approvals accorded by the concerned Ministry or Department in the State or Central Government, as the case may be, for grant of prospecting license in favour of the User Agency :
- (viii) Details of forest and non-forest land included in the prospecting lease :
- (ix) Total area of forest land required for prospecting :
 - (a) Area of forest land likely to experience permanent change in land use
 - (b) Area of forest land likely to experience temporary change in land use
- (x) Total period for which the forest land is proposed to be utilized for prospecting:
- (xi) Estimated cost of the project : (xii) Details of forest land diverted earlier, if any, in favour of the User Agency in the State or Union territory along with current status of the use of such forest land:
- (xiii) Details of permission accorded earlier, if any, in favour of the User Agency for prospecting of minerals in forest land along with current status of prospecting in each case :

2. Details of Maps enclosed

- (i) Survey of India topo-sheet(s), in original in 1:50,000 scale showing boundary of prospecting block; boundary of each patch of forest land located within the prospecting block; location of each sample plot or borehole site, roads or pathway (existing as well as new pathway to be shown separately) to be used for transportation of drilling equipments; boundary of the adjoining forest and protected areas located within ten (10) Kilometers distance from boundary of forest land identified for prospecting etc. : (Yes/No).
- Note 1: In case Survey of India Toposheet in 1:50,000 scale is not available, especially in case of the areas located near International Borders and other strategic locations, in place of Survey of India Toposheet other maps available in public domain may also be used.
- Note 2: Due to technical reasons, while undertaking the prospecting activities, the user agency may vary location of boreholes, sample plots, roads or path etc. up to 300 meters, provided area of forest land proposed to be utilized and number of trees proposed to be cut does not exceed the same given in the proposal.
3. (i) Justification for prospecting in forest land :
 - (ii) Details of alternatives examined;
 - (iii) Detail of non-invasive prospecting activities, if any, undertaken by the user agency in the forest land indicated in the extant proposal:

4. Whether the forest land identified for prospecting is located in scheduled area

- (Yes/No);
- (i) Surface sampling
 - (a) Grab sampling
 - (b) Chip sampling
 - (c) Groove sampling
 - (d) Channel sampling
 - (e) Bulk sampling
 - (f) Geochemical grid sampling with sample line spacing

1. पर्यावरण और वन मंत्रालय अधि. सा. का. नि. 185 (अ) दिनांक 14 मार्च 2014 से संशोधित जो भारत के राजपट (असाधारण) भाग 2 खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) दिनांक 14 मार्च 2014 पर लूकाशित के रूप 'C' जोड़ा गया।

- (ii) Pitting or trenching
 - (a) Number and dimension of pits or trenches

- (b) Total volume of excavation
(c) Area of forest land to be utilized for pits or trenches
- (iii) Drilling
(a) Number and diameter of boreholes or wells
(b) Spacing of boreholes or wells
(c) Area to be temporarily disturbed at each bore hole or well
(d) Area, if any, to be permanently disturbed at each bore hole or well
(e) Total meterage of boreholes or wells
(f) Number of drill core samples
(g) Volume of drill core samples
- (iv) Construction of roads or paths
(a) Length and width of roads or paths proposed to be constructed;
(b) Area of forest land proposed to be utilized for roads or paths;
- (v) Any other activity pl. specify)
6. Area of forest land likely to experience temporary change in land use due to :
(i) Surface sampling;
(ii) Pitting or trenching;
(iii) Drilling;
(iv) Construction of roads or paths;
Total :
7. Area of forest land likely to experience permanent Change in land use to due to :
(i) Surface sampling
(ii) Pitting or trenching;
(iii) Drilling;
(iv) Construction of roads/paths;
(v) Any other activity (pl. specify);
Total :
8. Details of machinery or equipments to be deployed for prospecting :
- | Sl. No. | Name of equipment or Machinery (machine hours) | Mode of traction (decibel) | Size (L x B x H) | Estimated deployment |
|---------------------|--|----------------------------|------------------|----------------------|
| Maximum level noise | | | | |
9. Details of existing paths or roads proposed to be utilized for transport of the equipment or machines in the forest land;
10. Approximate number and approximate duration of stay in the forest land of the persons proposed to be deployed for prospecting;
11. Summary of the estimated quantity of ore and other samples proposed to be collected during the prospecting (not applicable for hydrocarbon sector);
- | Sl. No. | Details of samples | Qty. proposed to be collected (Metric Tonne) |
|---------|--|--|
| 12. | Estimated accuracy and confidence level for mineral reserve assessment; | |
| 13. | Estimated accuracy and confidence level in case number of bore holes proposed to be drilled are reduced by : | |

Accuracy (%)	
Confidence level (%) (i)	10% :
.....	 (ii)20% :
.....	 (iii)30% :
.....	 (iv)40% :
.....	 (v) 50%
:	
.....	

14. In case the proposal is for extension of the period of the permission granted for prospecting, or for drilling of additional bore holes, please provide following additional information :

- (i) Details of approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 in the past :

Sl. No.	Number and date of the approval accorded	Area of forest land permitted for prospecting (ha)	Validity period of approval From To
---------	--	--	-------------------------------------

(ii) Report on status of compliance to the conditions stipulated in the approval accorded in the past enclosed (Yes/No)

(iii) Details of violation(s), if any committed.

(iv) Justification for extension of permission accorded for prospecting. (v) Details of prospecting activities undertaken and sample collected, so far.

15. Details of documents enclosed:

Date:

Signature

e

Place:

Part – II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forests)

Division serial No. of proposal

16. Location of the project or scheme :

(i) State/Union Territory

(ii) District Forest Division

(iii) Area of forest land proposed to be utilized for prospecting.

17. Legal status of forest land identified for prospecting.

18. Details of vegetation available in the forest land proposed for diversion :

(i) Forest type;

(ii) Average crown density of vegetation;

(iii) Species-wise local or scientific names and girth-wise enumeration of trees required to be felled;

(iv) Working plan prescription for the forest land proposed to be utilized for prospecting.

19. Brief note on topography and vulnerability of the forest land proposed to be utilized for prospecting to erosion.

20. Approximate distance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from boundary of the forest land.

21. Significance of the forest land proposed to be utilized for prospecting from wildlife point of view:

(i) Details of wildlife present in and around the forest land proposed to be utilized for prospecting;

(ii) Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(iii) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within ten kilometers from boundary of the forest land proposed to be utilized for prospecting, (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(iv) Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within one kilometer from boundary of the forest land proposed to be utilized or prospecting (If so, the details of the area and comments of the Chief Wildlife Warden to be annexed);

(v) Whether any rare or endangered or unique species of flora and fauna found in the area - if so details thereof.

22. Whether any protected archaeological or heritage site or defense establishment or any other important monument is located in the area - (If so, details thereof with no-objection certificate (NoO) from competent authority to be annexed).

23. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed to be utilized for prospecting:

(i) Whether the requirement of forestland as proposed by the User Agency in para 6 and para-7 of the Part- I is unavoidable and bare minimum for the project.

(ii) If no, recommended area of forest land which may be used for prospecting.

24. Details of violation committed:

(i) Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out (Yes/No).

(ii) If yes, details of the violation including period of work done, area of forest land involved in violation, name, address and designation of the person(s) responsible for violation and action taken

- against the person(s) responsible for violation;
(iii) Whether work in violation is still in progress (Yes/No):

25. Details of compensatory afforestation scheme:

- (i) Legal status of the land identified to raise compensatory afforestation;
(ii) Details such as location, Survey or Compartment or Khasra number, area and distance from adjoining forest of each plot of non-forest area or degraded forest land identified for compensatory afforestation;
(iii) Survey of India Toposheet (s), in original in 1:50,000 scale showing non-forest or degraded forest land identified for compensatory afforestation and adjoining forest boundaries enclosed? (Yes/No);
(iv) Detailed compensatory afforestation scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule, cost structure, etc. enclosed (Yes/No);
(v) Total financial outlay for compensatory afforestation scheme;
(vi) Certificates from the concerned Deputy Conservator of Forests regarding suitability of area identified for compensatory afforestation and from management point of view enclosed? (Yes/No);

26. Site inspection report of the Deputy Conservator of Forests highlighting important facts pertaining to the impact of proposed activities on flora and fauna enclosed (yes/No);

27. Specific recommendations of the Deputy Conservator of Forests for acceptance or otherwise of the proposal with reasons.

& Designation

Seal) Date:

Place:

Signature Name
(Official)

PART-III

(To be filled by the concerned Conservator of Forests)

28. Whether site, where the forest land involved is located has been inspected by the Conservator of Forests (Yes/No). If yes the date of inspection and observations made in form of inspection note to be enclosed.
29. Whether the Conservator of Forests agree with the information given in Part-II and the recommendations of Deputy Conservator of Forests.
30. Specific recommendation of Conservator of Forests for acceptance or other-Ms.; of the proposal with detailed reasons.

& Designation

Seal) Date:

Place:

Signature Name
(Official)

PART-IV

(To be filled by the Nodal Officer or Principal Chief Conservator of Forests or Head of Forest Department)

31. Detailed opinion and specific recommendation of for acceptance or otherwise of the proposal with remarks (While giving opinion, the adverse comments made by the Conservator of Forests or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed and critically commented upon).

& Designation

Seal) Date:

Place:

Signature Name
(Official)

PART - V

(To be filled in by the Secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

32. Recommendation of the State Government:

(Adverse comments made by any officer or authority in Part-II or Part -III or Part-IV above should be specially commented upon)

Designation

Seal) Date:

Place:.....

Signature

Name &
(Official

[F. No. 11 -43/2013-

FC]

M.S. NEGI, Inspector General of Forests (Forest

Conservation)

Note: The Principal rules were published in the Gazette of India vide number GSR. 23 (E)-dated the 10th January, 2003 and subsequently amended vide GS.R 94 (E) dated the 3rd February, 2004 and vide GS.R 107 (E) dated the 9th February, 2004.

